



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-07.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं

बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 06.10.2025 को निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति, आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम, चौकी प्रभारी खोह श्री रामअधार सिंह व चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सनी चतुर्वेदी, म०का० रानी व अन्य महिला आरक्षियों द्वारा ग्राम शिवरामपुर व ग्राम खोह कर्वी में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें प्रतिभागियों की संख्या लगभग 100-110 थी।

इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत सभी आमजन को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं- 1. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी०वी०वी० तथा ओटीवी नम्बर, एस०एम०एस० न बताये। 2. एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एस०एम०एस० फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5. बोनस प्वाइंट, रिवाई प्वाइंट, कैशबैक, के०बी०सी० आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6. किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आये। 8. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नम्बर, जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार, किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियो देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10. साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं० 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(3). आज दिनांक 07.10.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में शरद पूर्णिमा के दृष्टिगत डॉग स्क्वाड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट क्षेत्र, परिक्रमा मार्ग में सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनांक-07.10.2025 को पुलिस लाइन चित्रकूट में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा 28वीं अन्तर्जनपदीय शूटिंग स्पोर्ट्स, रायफल/रिवाल्वर/पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म इफीसियेंसी रेस प्रतियोगिता प्रयागराज जोन, प्रयागराज वर्ष -2025 का रिबन काटकर शुभारम्भ किया गया। सर्वप्रथम खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन मार्च पास्ट करते हुये पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गयी। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के 08 जनपदों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदों से आयी टीमों के कैप्टन से परिचय लिया गया। यह प्रतियोगिता आज दिनांक 07.10.2025 से दिनांक 09.10.2025 तक चलेगी।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव, आरटीसी प्रभारी श्री प्रदीप कुमार यादव एवं अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रवीन्द्र कटियार व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 229/25 धारा 115(2),110,105 बीएनएस के वाँछित अभियुक्त विशम्भर पुत्र द्वारिका प्रसाद निषाद निवासी ग्राम रीठी रूपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी वॉस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.उ0नि0 श्री रवीन्द्र कुमार थाना राजापुर
- 2.आरक्षी मनीष यादव
- 3.आरक्षी शिवम मिश्रा

(6). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-07.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं उनकी एण्टी रोमियों टीम महिला आरक्षी पारुल श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी रीना चौधरी द्वारा ग्राम सुन्दर नगर बोझ में, एण्टी रोमियों टीम थाना भरतकूप उ0नि0 श्री बलवन्त यादव एवं महिला आरक्षी प्रीति पाठक द्वारा थाना भरतकूप क्षेत्र के रौली कल्याणपुर गांव में, एण्टी रोमियों टीम थाना राजापुर उ0नि0 श्री अनिल सिंह, महिला आरक्षी आरती वर्मा एवं महिला आरक्षी नीलू यादव द्वारा थाना क्षेत्र राजापुर के ग्राम पटवरिया में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(7). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-07.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं एंटीरोमियो टीम महिला आरक्षी कल्पना गुप्ता द्वारा बाल विकास शिवनगर मानिकपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(8). आज दिनांक 07.10.2025 को निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति, आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम ग्राम पंचायत खोह कर्वी चित्रकूट में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें प्रतिभागियों की संख्या लगभग 80 से 120 थी।

इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत सभी आमजन को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर, एस0एम0एस0 न बताये। 2. एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एस0एम0एस0 फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5. बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6. किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आये। 8. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नम्बर, जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार, किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियो देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10. साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

